



छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

विज्ञापन क्रमांक 01/2022/परीक्षा/दिनांक 11/01/2022

प्रकाशन की तिथि 19/01/2022

:: विज्ञापन ::

यूनानी चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सक (यूनानी) के पद पर सीधी भर्ती

ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 18/01/2022 मध्याह्न 12:00 बजे से 16/02/2022 रात्रि 11:59 बजे तक

महत्वपूर्ण

- विज्ञापित पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैन्युअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को ही आवेदन करना चाहिए। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा चाहे वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। अभ्यर्थी को प्रवेश-पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी अभ्यर्थिता आयोग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। परीक्षा/साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी के चिन्हांकन के बाद ही आयोग पात्रता शर्तों की जाँच करता है।
- उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क व पोर्टल शुल्क का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/कैश डिपोजिट के माध्यम से किया जा सकता है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक के ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
- उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 18/01/2022 को मध्याह्न 12:00 बजे से 16/02/2022 रात्रि 11:59 बजे तक www.psc.cg.gov.in पर किए जा सकेंगे।
- ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 17/02/2022 अपराह्न 12:00 बजे से 21/02/2022 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा।
- ऑनलाइन आवेदन में सशुल्क त्रुटिसुधार का कार्य त्रुटिसुधार करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 22/02/2022 को मध्याह्न 12:00 बजे से 26/02/2022 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु रु.100/- (रुपये एक सौ) शुल्क लिया जाएगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा।
- श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गये अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गये ऑनलाइन आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

(1) भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से छत्तीसगढ़ शासन के चिकित्सा शिक्षा (आयुष) विभाग के अंतर्गत यूनानी चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सक (यूनानी) के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पदों का विवरण नीचे की तालिका में दर्शित है:-

स.क्र.	पद का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों में से निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पद	योग	वेतन मैट्रिक्स
		अ.ना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अ.ना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	यूनानी चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सक (यूनानी) (कैशेफारवर्ड)	2	5	11	-	-	-	3	-	1 (OA, OL) UR	18	वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 (56100 - 177500)
	बैकलॉग	-	-	1	-	-	-	-	-		1	
	कुल	2	5	12	-	-	-	3	-		19	

महत्वपूर्ण टीप :-

Abbreviations used:- OA=One Arm, OL= One Leg

- पदों की संख्या परिवर्तित हो सकती है।
 - यह विज्ञापन संबंधित विभाग के मांग-पत्र/आयोग के नियम के अनुरूप प्रकाशित किया जा रहा है।
 - उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए किया जाने वाला चयन माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर याचिकाओं (क्रमांक 591/2012, रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 592/2012, रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 593/2012 तथा रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 594/2012) में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगी एवं माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय के अनुसार विज्ञापित किये गये पदों की वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है।
 - छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी निःशक्तजन ही मान्य होंगे।
 - रिक्तियों में आरक्षण :-
- (i) उपरोक्त तालिका के कालम नंबर 4, 5 एवं 6 में दर्शित पद केवल छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित

- जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं एवं उपरोक्त तालिका के कॉलम नंबर 7, 8, 9 एवं 10 केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित हैं।
- (ii) छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सभी (छत्तीसगढ़ राज्य के अनारक्षित एवं छत्तीसगढ़ राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्य के अभ्यर्थी) के आवेदन अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आएंगे।
- परीक्षा योजना परिशिष्ट-एक, पाठ्यक्रम परिशिष्ट-दो एवं ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी परिशिष्ट-तीन में उल्लेखित है।
 - ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी

क्रमशः

भी चरण में अथवा परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी अनर्ह (Ineligible) पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता/चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा।

(2) पद का विवरण, वेतनमान, शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य :-

(i) पद का नाम :- यूनानी चिकित्सा अधिकारी/ चिकित्सक (यूनानी)

(ii) सेवा श्रेणी :- राजपत्रित-द्वितीय श्रेणी

(iii) वेतन मैट्रिक्स :- लेवल-12 (56100-177500)

इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

(iv) आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं :-

(क) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से यूनानी चिकित्सा पद्धति में स्नातक उपाधि, इन्टर्नशिप सहित।

(ख) छत्तीसगढ़ आयुर्वेद, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड में स्थायी पंजीयन।

(3) परिवीक्षा अवधि :- चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी।

अवधि में निम्नानुसार स्टायेपेण्ड देय होगा:-

प्रथम वर्ष - उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत,

द्वितीय वर्ष - उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत,

तृतीय वर्ष - उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत,

परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टायेपेण्ड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत अन्य कर्मियों की तरह प्राप्त होंगे।

(ख) परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर, जब वह सेवा या पद पर स्थाई किया जाता है, तब शासकीय सेवक का वेतन, उस सेवा या पद को लागू समयमान का न्यूनतम नियत किया जायेगा।

महत्वपूर्ण नोट:-

(i) अभ्यर्थी के पास उपरोक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं अन्य अर्हता ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है।

(ii) ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।

(4) निर्धारित आयु सीमा:-

अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2022 को 22 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, परन्तु छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई 05 वर्ष की छूट होगी।

उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी:-

(i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का हो तो उसे उच्चतर आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

(ii) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्क चार्ज या कांटेजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।

(iii) ऐसा अभ्यर्थी जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा परन्तु उसके परिणाम-स्वरूप उच्चतम आयु सीमा, तीन वर्ष से अधिक न हो। स्पष्टीकरण:- "छटनी किये गये सरकारी

सेवक" से तात्पर्य है जो इस राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

(iv) ऐसे अभ्यर्थी को, जो छत्तीसगढ़ भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रशिक्षण सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

(v) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-1/2016/1-3 नया रायपुर, दिनांक 11.01.2017 के अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी।

(vi) छत्तीसगढ़ राज्य स्थानीय निवासी विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिये उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट

(vii) आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/10/85/3/1 दिनांक 28.06.1985 के संदर्भ में उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(viii) राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) में प्रचलित "शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं" को उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(ix) छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2002/1-3 रायपुर दिनांक 30.01.2012 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।

(x) छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 20-4/2014/आ.प्र./1-3 नया रायपुर दिनांक 27.09.2014 एवं 17.11.2014 के अनुसार निःशक्तता से ग्रस्त छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(xi) स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालंटरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की उतनी कालावधि तक छूट आठ वर्ष की सीमा के अध्याधीन रहते हुए दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

महत्वपूर्ण टीप:-

(i) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2002/1-3 रायपुर दिनांक 15.06.2010 में दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है, किन्तु परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2015/1-3 नया रायपुर, दिनांक 30.01.2019 में दिए गए निर्देश के अनुसार राज्य शासन के सभी विभागों/कार्यालयों में सीधी भरती के पदों में की जाने वाली भरती में छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई 05 वर्ष की छूट कैलेण्डर वर्ष 2018 तक प्रदान की गई थी, उक्त अवधि दिनांक 31.12.2018 को समाप्त हो गई है।

छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई 05 वर्ष की छूट की अवधि को दिनांक 01.01.2019 से 31.12.2023 अर्थात् 05 वर्ष तक

- बढ़ाया जाता है। अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय सभी छूट यथावत् रहेंगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (ii) आरक्षण का लाभ छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को प्राप्त होगा तथा सभी प्रकार की आयु में छूट (विधवा, महिला, अनुजाति, अनुजनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन, भूतपूर्व सैनिक) स्थानीय निवासियों को प्राप्त होगा।
- (iii) आयु की गणना दिनांक - 01.01.2022 के संदर्भ में की जाएगी।
- (5) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, पंजीयन, अनुभव एवं आयु के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन-पत्र भरें। परीक्षा में सम्मिलित करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन-पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी।
- (6) साक्षात्कार के पूर्व वांछित दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना:- साक्षात्कार के पूर्व अनुप्रमाण फार्म के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों और अंकसूचियों की स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसके परीक्षण उपरांत अभ्यर्थी की अर्हता (Eligibility) की जांच की जाएगी।
- (i) आयु संबंधी प्रमाण के लिये सामान्यतः हाईस्कूल/हायर सेकेंडरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम अर्हता का प्रमाण पत्र। अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।
- (ii) विज्ञापित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता से संबंधित समस्त सेमेस्टर/वर्ष की अंकसूची।
- (iii) पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं का प्रमाण-पत्र यथा-स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि, पंजीयन, अनुभव आदि जो संबंधित पद के लिए आवश्यक है, की स्वप्रमाणित अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें, कि आवेदित पद हेतु वांछित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं अन्य अर्हताओं को अंतिम तिथि तक धारित करता है।
- (iv) जाति प्रमाण पत्र :-
- (a) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आता है तथा जो इस विज्ञापन के तहत दर्शित छूट (आयु/शुल्क/आरक्षण) का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर रहा हो, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (b) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, एवं तदनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा।
- (c) अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण केवल गैर क्रीमीलेयर के आधार पर ही देय है। गैर क्रीमीलेयर का निर्धारण वार्षिक आय के आधार पर होता है। अतः अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमीलेयर के अन्तर्गत आने के प्रमाण हेतु ऐसा आय प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा जो आवेदन करने की तिथि से पूर्ववर्ती 3 वर्ष के भीतर जारी किया हुआ हो।
- (d) यदि निर्धारित उच्चतर आयु सीमा में छूट चाही गई है तो निम्न दस्तावेज/प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करें:-
- (i) तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
- (ii) विज्ञापन की कंडिका - 4(i), 4(ii), 4(iii), 4(iv) एवं 4(xi) के अंतर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए सक्षम अधिकारी/नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण-पत्र।
- (iii) विज्ञापन की कंडिका - 4(vii) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिये जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।
- (iv) विज्ञापन की कंडिका - 4(vi) के अन्तर्गत तलाकशुदा महिला हेतु उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिये जिला मजिस्ट्रेट/सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।
- (v) विज्ञापन की कंडिका - 4(viii) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए "शहीद राजीव गांधी पुरस्कार, गुण्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंडाव देव सम्मान तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार" प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।
- (vi) विज्ञापन की कंडिका - 4(ix) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए "सक्षम अधिकारी द्वारा जारी संविदा अनुभव" का प्रमाण-पत्र।
- (vii) विज्ञापन की कंडिका - 4(x) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए "सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी निःशक्तता" का प्रमाण-पत्र।
- (7) नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र :-
- (i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/मंडल/उपक्रम में कार्यरत हों अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हों या राष्ट्रीयकृत/अराष्ट्रीयकृत बैंक, निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हों तो वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परन्तु ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अथवा इसके तुरंत पश्चात् उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" सीधे आयोग को भेजने के लिए निवेदन करते हुए आवेदन कर पावती प्राप्त करते हुए इसे सुरक्षित रखना चाहिए।
- (ii) यदि ऐसे अभ्यर्थी को आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो उन्हें साक्षात्कार के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत आवेदन की प्रति एवं उक्त आवेदन की नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा दी गई अभिस्वीकृति (जिसमें आवेदन प्राप्ति की तिथि भी अंकित हो) प्रस्तुत करना होगा।
- (iii) यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करने में असफल रहते हों, तो ऐसी स्थिति में उनका साक्षात्कार तो लिया जाएगा, परन्तु साक्षात्कार पश्चात् चयन की स्थिति में उन्हें संबंधित संस्था द्वारा भारमुक्त न किये जाने आदि के फलस्वरूप उनकी नियुक्ति निरस्त किये जाने की स्थिति बनती है तो इसके लिए आयोग/शासन के संबंधित विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा इस संबंध में ऐसे अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (8) आपराधिक अभियोजन :-
- (A) ऐसे अभ्यर्थी को आपराधिक अभियोजन के लिए दोषी ठहराया जाएगा जिसे आयोग ने निम्नलिखित के लिए दोषी पाया हो:-
- (i) जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिए परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसका प्रयास किया हो, या पररूप धारण (इम्प्रसोनेशन) किया हो, या
- (ii) किसी व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो/किया हो, या
- (iii) फर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों जिनमें फेरबदल किया हो, या
- (v) चयन के किसी भी स्तर (Stage) पर असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपायी हो, या
- (vi) परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या
- (vii) परीक्षा/साक्षात्कार कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या

- (viii) परीक्षा/साक्षात्कार संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या
- (ix) प्रवेश-पत्र/बुलावा पत्र में अभ्यर्थियों के लिये दिये गये किन्हीं भी निर्देशों या अन्य अनुदेशों जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष/वीक्षक/प्राधिकृत अन्य कर्मचारी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के द्वारा स्थापित व्यवस्था अनुसार मौखिक रूप से दिये गये निर्देश भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो, या
- (x) परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या
- (xi) छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के भवन परिसर/परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाइल फोन/संचार यंत्र प्रतिबंध का उल्लंघन किया हो।
- (B) उपरोक्त प्रकार से दोषी पाये जाने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध अपराधिक अभियोजन के अलावा उन पर निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकेगी—
- (i) आयोग द्वारा उस चयन के लिये, जिसके लिए वह अभ्यर्थी है, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी और/या
- (ii) उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए निम्नलिखित से विवर्जित किया जाएगा—
- (a) आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या उसके द्वारा किये जाने वाले चयन से।
- (b) राज्य शासन द्वारा या/उसके अधीन नियोजन से वंचित किया जा सकेगा, और
- (c) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपरोक्तानुसार किए गए उल्लंघन के लिए उस पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी,
- परन्तु उपरोक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई शास्ति तब तक आरोपित नहीं की जाएगी, जब तक कि—
- (i) अभ्यर्थी को लिखित में ऐसा अभ्यावेदन, जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और
- (ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विचार न किया गया हो।
- (9) अनर्हता: छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगी :—
- (i) कोई भी पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी।
- परन्तु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।
- (ii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त ना पाया जाए।
- परन्तु आपवादिक मामलों में किसी अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अध्याधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि यदि उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।
- (iii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसे कि आवश्यक समझी जाए, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाए कि वह सेवा या पद के लिए किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।
- (iv) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष

उठराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु जहां तक किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला अपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

- (v) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

- (10) चयन प्रक्रिया :— विज्ञापित पद पर चयन के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं न्यूनतम हैं और इन योग्यताओं के होने से ही उम्मीदवार परीक्षा/साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने के हकदार नहीं हो जाते हैं। आयोग द्वारा अभ्यर्थी का चयन, निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं अथवा उच्च योग्यताओं अथवा दोनों के आधार पर साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों की संख्या सीमित करते हुए आयोग द्वारा “केवल” साक्षात्कार द्वारा अथवा परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।

टीपः— यदि विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो निम्नानुसार चयन किया जाएगा:—

- (i) उम्मीदवार का चयन परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।
- (ii) परीक्षा योजना परिशिष्ट — एक एवं पाठ्यक्रम परिशिष्ट — दो में प्रकाशित है।

- (iii) परीक्षा हेतु रायपुर परीक्षा केन्द्र होगा।

- (11) ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क :—

- (i) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थानीय निवासी, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आते हैं एवं निःशक्तता से ग्रस्त छत्तीसगढ़ के स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए रुपये 300/— (रुपये तीन सौ) तथा शेष सभी श्रेणी के लिए एवं छत्तीसगढ़ के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए रुपये 400/— (रुपये चार सौ) आवेदन शुल्क देय होगा।

- (12) ऑनलाइन आवेदन तथा त्रुटि सुधार की समयावधि समाप्त होने के उपरांत विशेष प्रकरण मानते हुए अभ्यर्थियों को केवल जन्मतिथि, लिंग, वर्ग, मूल निवास, दिव्यांगजन एवं भूतपूर्व सैनिक संबंधित त्रुटियों में ही सुधार का अवसर विज्ञापन में दर्शित समयावधि के लिए सशुल्क दिया जाएगा।

- (i) सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु संबंधित अभ्यर्थी से एक या अधिक त्रुटियों के सुधार के लिए रुपये 100/— का शुल्क लिया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग/उपवर्ग से अनारक्षित वर्ग के रूप में त्रुटि सुधार किया जाए तो अभ्यर्थी से आवेदन शुल्क के अंतर की राशि भी ली जाएगी।

- (ii) सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया में पोर्टल शुल्क तथा पेमेंट गेटवे शुल्क निर्धारित दर अनुसार अभ्यर्थी द्वारा देय होंगे।

- (iii) सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार से त्रुटि सुधार का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।

- (iv) सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात् संबंधित अभ्यर्थी के डाटा को अंतिम माना जाएगा तथा साक्षात्कार/अंतिम चयन के पूर्व दस्तावेज परीक्षण के दौरान उक्त डाटा का मूल दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन किया जाएगा।

- (v) सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होगी।

- (13) परीक्षा के संबंध में:—

(यदि परीक्षा लेने का निर्णय लिया जाता है तो)

- (i) आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा प्रणाली में पुनर्गणना अथवा पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। अतः इस संबंध में किसी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

- (ii) परीक्षा के दौरान यदि किसी परीक्षार्थी को किसी प्रश्न या उत्तर विकल्प में किसी प्रकार की मुद्रण संबंधी त्रुटि, या प्रश्न त्रुटिपूर्ण होने/उत्तर विकल्प त्रुटिपूर्ण होने या अन्य प्रकार की त्रुटि की शिकायत करना है तो उसे आयोग द्वारा दिये गये निर्धारित समयावधि में ऑनलाइन

आपत्ति दर्ज करनी होगी एवं तत्संबंध में आवश्यक दस्तावेज परीक्षा नियंत्रक, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर को रजिस्टर्ड/पोस्ट/व्यक्तिगत रूप से आयोग में जमा कर सकते हैं।

(14) यात्रा व्यय का भुगतान :-

- (i) छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासी को, जो किसी सेवा में न हो तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थी हैं, छत्तीसगढ़ शासन के प्रचलित नियमों के अधीन परीक्षा में सम्मिलित होने पर साधारण दर्जे का वास्तविक टिकिट किराया राशि का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। अभ्यर्थियों को इसके लिये केन्द्राध्यक्ष को वांछित घोषणा-पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित आवश्यक सभी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे। अतः वे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण-पत्र की स्वयं के द्वारा अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि तथा यात्रा टिकिट घोषणा पत्र के साथ संलग्न करें, तभी उन्हें टिकिट किराया दिया जाएगा।
- (ii) साक्षात्कार के लिये - साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले उपरोक्त श्रेणियों के अभ्यर्थियों को साधारण दर्जे का वास्तविक टिकिट किराया राशि का भुगतान नियमानुसार कडिका 14(i) में उल्लेखित वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।
- (15) आयोग के प्रक्रिया नियम-2014 (यथा संशोधित) के अनुसार विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर यदि आयोग द्वारा सीधे साक्षात्कार लिए जाने का निर्णय लिया जाता है तो, साक्षात्कार कुल 100 अंकों का होगा तथा साक्षात्कार में न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम 23 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- (16) किसी भी लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार से संबंधित प्राप्तांको की सूची तभी जारी की जाएगी, जब संबंधित विज्ञापन के माध्यम से विज्ञापित पदों हेतु अंतिम चयन सूची जारी कर दी जाए।
- (17) विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें/महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि का निर्वचन (Interpretation):-
इस विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार आयोग का रहेगा एवं इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं आयोग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा।

सही / -

सचिव

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
नवा रायपुर अटल नगर

**परिशिष्ट-एक,
“परीक्षा योजना”**

- (1) चयन दो चरणों में होगी, प्रथम चरण परीक्षा एवं द्वितीय चरण साक्षात्कार।
- | | | |
|-------------|----------|----------------|
| परीक्षा | — | 300 अंक |
| साक्षात्कार | — | 30 अंक |
| कुल | — | 330 अंक |
- (2) परीक्षा:—
- (i) परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के एक प्रश्न पत्र निम्नानुसार होगा:—
- प्रश्न पत्र
- प्रश्नों की संख्या 150 3:00 घंटे अंक 300
- भाग 1 — छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान — 50 प्रश्न (100 अंक)
- भाग 2 — यूनानी चिकित्सा — 100 प्रश्न (200 अंक)
- कुल — 150 प्रश्न (300 अंक)**
- (3) परीक्षा के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ (बहु विकल्प प्रश्न) प्रकार के होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिये चार संभाव्य उत्तर होंगे जिन्हें अ, ब, स, और द में समूहीकृत किया जाएगा जिनमें से केवल एक उत्तर सही/ निकटतम सही होगा, उम्मीदवार को उत्तर पुस्तिका में उसके द्वारा निर्णित सही/निकटतम सही माने गये अ, ब, स या द में से केवल एक विकल्प का चयन करना होगा।
- (4) प्रश्न पत्र में ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन हेतु निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाएगा:—
- $$MO = M \times R - \frac{1}{3} M \times W$$
- जहां MO = अभ्यर्थी के प्राप्तांक, M = एक सही उत्तर के लिए निर्धारित प्राप्तांक अथवा प्रश्न विलोपित किए जाने की स्थिति में पुनः निर्धारित प्राप्तांक, R = अभ्यर्थी द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या तथा W = अभ्यर्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तरों की संख्या है। उक्त सूत्र का प्रयोग कर प्राप्तांकों की गणना दशमलव के चार अंकों तक की जाएगी।
- (5) पाठ्यक्रम की जानकारी **परिशिष्ट-दो** में दी गई है।
- (6) परीक्षा के अन्तर्गत अन्तर्गत उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र में कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में अर्हकारी अंक केवल 23 प्रतिशत होंगे।
- (7) **साक्षात्कार:—** साक्षात्कार के लिए कोई अर्हकारी न्यूनतम अंक नहीं है।
- (8) आयोग के प्रक्रिया नियम-2014 के अनुसार विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर यदि आयोग द्वारा सीधे साक्षात्कार लिए जाने का निर्णय लिया जाता है तो, साक्षात्कार कुल 100 अंकों का होगा तथा साक्षात्कार में न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम 23 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- (9) साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या, विज्ञापन में दिए गए रिक्त स्थानों की संख्या से लगभग तीन गुनी होगी। केवल वे उम्मीदवार, जिन्हें आयोग द्वारा ऑनलाइन परीक्षा में अर्ह घोषित किया जावेगा, वे साक्षात्कार के लिए पात्र होंगे।
- (10) **चयन सूची:—** उम्मीदवार का चयन परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर गुणानुक्रम एवं प्रवर्गवार किया जाएगा।
- (11) चयन प्रक्रिया आयोग के प्रक्रिया नियम-2014 के अनुसार प्रावधानित होगी।

□□□

परिशिष्ट-दो, “पाठ्यक्रम”

भाग-1 छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान

1. छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान।
2. छत्तीसगढ़ का भूगोल, जल, खनिज संसाधन, जलवायु एवं भौतिक दशाएँ।
3. छत्तीसगढ़ की साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति।
4. छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, बोली, तीज एवं त्यौहार।
5. छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि।
6. छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज।
7. छत्तीसगढ़ में मानव संसाधन एवं ऊर्जा संसाधन।
8. छत्तीसगढ़ में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समसामयिक घटनाएँ।

Part-1 General Knowledge of Chhattisgarh

1. History of Chhattisgarh and contributions of Chhattisgarh in freedom struggle.
2. Geography, water, mineral resources, climate and physical conditions.
3. Literature, music, dance, art and culture of Chhattisgarh.
4. Tribals, dialects, teej and festivals of Chhattisgarh.
5. Economy, forest and agriculture of Chhattisgarh.
6. Administrative structure of Chhattisgarh, local government and Panchayati Raj.
7. Human Resources and energy resources in Chhattisgarh.
8. Education, health and contemporary events in Chhattisgarh.

भाग-2 :: यूनानी चिकित्सा ::

(Basic Principle of Unani Medicine) - Umoore Tabiya

Arkan, Arkan ki tarif, arkane arba-aa ka tassawoor, arkan ka tabaye e ارکان۔ ارکان کی تعریف، ارکان اربعہ کا تصور، ارکان کا طبعی مقام e
(Solid elements & liquid elements) Jamid Arkan چاند ارکان۔ سیال ارکان۔ Anasir ka jadeed nazarya m-qam
(Humers) Khilt ki tareef, bahse akhlata arba-aa ka mukammal Sayyal Arkan غلظت کی تعریف، بحث، اخلاط اربعہ کا مکمل بیان
Aa-za-e bayan اعضاء کا عام بیان اور ان کی تقسیم (Organs) Murakkaba ki tareef, Aa-za-e Raeesa ka pura Bayan
Hawase Khamsa Zahera اعضاء مرکبہ کی تعریف، اعضاء و مرکبہ کا پورا بیان Aa-za-e bayan
Quwwate Tabiya Khadima (Quwwate Jazeba, masika, hazima, dafia) قوت طبعیہ (قوت
Mizaj ki tarieef, mizaj ky aqsam, mizaje aqalim, mu khtalif umron ke mizaj مزاج کی تعریف، تقسیم
Unani Pharmacopia علم الادویہ مفردات و مرکبات۔ (ہیثمی ادویہ)

مندرجہ ذیل ادویہ کا مزاج، افعال و خواص، موقع و ترکیب استعمال اور مقدار و خوراک، مضر، مصلح اور جدید تحقیقات

Mandarja zail adwiyah ka mizaj, afa-i-o-khawas, mauqa-wa-tarkibe estemal, miqdare khurak, muzir, musleh aur
Tamar jadede tahqiqat Abhal آبرہیم، Abresham آبرو بخارہ، اسرول Asrol، آملہ Amlah، بابچی Babchi، بادام Badam، ہرہندی
Hindi تہبانو Tambaku، چامن Jamun، سناکی Sana Makki، شب میانی Shibbe Yamani، عنپ اشعب Anabus
Aslus اسلس Anjeer، انجیر Mundi، منڈی Namake Siyah نمک سیاہ، Namake Ta-am، نمک طعام، Kamela، کملہ، Kishniz
Susos اڑوس Arusa، بابونہ Babuna، پودینہ Pudina، اشعب مصری Salab Misri، لفلل سیاه Filfil Siyah، فلفل سیاه
Kali خردل Salatin، خردل Khardal، روغن بھانجیر Raughane Balde Injlr، سناج ہندی Sazlj Hindi، کافل Kaifal، کالی زری
ziri کافور Kafoor، کشمش Kishmish، جگر Gajar، جگر سرخ Gule Surkh، جگر مدار Gule madar، گیرود Geroo، گل نم Nankhah،
مندرجہ ذیل ادویہ مرکبہ کی ترکیب میں اجزاء، خواص، استعمال اور مقدار و خوراک

Mandarja zail adwiyah murakkabah ki tarkib men aham ajza, khwas, i sternal aur miqdare khurak
عرق مصفی Arqe Musaffi، عرق کاسنی Arqe Kasni، عرق بادیان Arqe Badiyan، شربت فولاد Sherbate Faulad، شربت زردی
Laooe Khayar Shanbar، لائق شیاہ شہر Laooe Sapistan، لائق سہجان، Sharbate Ajaz، لائق سہجان، Laooe
Safuofe، لائق فلاسفا Majooone Falasfa، جوارش جالینوس Jawarishe Jalinoos، جوارش کوئی Jawarishe Kamooni، جوارش
Mulayyan، صوف مقلایا Safuofe Muqlyasa، صوف برس Safuofe Bars، صوف مہرل Safuofe Muhazzil، صوف شفاء Habbe Shifa، صوف
کبد نوادری Habbe kabil Naushadri، صوف مقلل Habbe Moqli، صوف اذراقی Habbe Azraqi، صوف سورنجان Habbe Suranjan، روغن آملہ
Raughane Amla، روغن پیڑ سرخ Raughane Baiza-e-murgh، فیروہ آبرہیم سادہ Khamire Abresham Sadah، اطریفل اطریدس Atrifal
Ustu Khuddus، اعمال صیدلہ Pharmaceutical method، کاغذی تذکرہ Taqtee، دق Diq، دق Raz، برادر کتا Burada Karna، تحمیس
Tarnhis، تریب Tarsib، احراق Ahraq، تکلیس Takliees، تدبیر و اصلاح کے طریقے Purification، جوارش Ajwain، بھلاواں Bhilawan، جمال
Jamal gota، ماریقون Ghariqoon، سگونہ Saqmoniya۔

(Bedside Clinic) Usoole Elaj اصول علاج

نبض: نبض کی تعریف، دیکھنے کے شرائط اور طریقے (Defination of Pulse)

Nubz:- Nubz ki tareef, Dekhne ke Sharayet, aur Tariqe

Nubze Mufrad ke aqsam

Auraton, Bachchon, Hamia Auraton, Auram, Aujaa ki Nubz - امراض سوء مزاج کا اصول علاج

Amraze Soo-e-mijaz ka usool-e-Elaj - استفرغ کے احکام، اصول و شرائط

Istafrah ke ahkam, usool -wa-sharayet - اسہال کے شرائط، اغراض و مقاصد و موانع

Ishal ky sharayet, aghraz-o-maqasid-wa-mawane-aat - قے کے احکام، اصول و شرائط، اغراض و مقاصد و موانع (Vomiting) Qai ke

ahkam, usool-o-sharayet, aghraz-o-maqasid-wa-mawane-aat - تعریق (احول و شرائط، اغراض

و مقاصد و موانع) Tareeq:-usool-o-sharayet, aghraz-o-maqasid-wa-mawane-aat (Sweating)

usool-o-sharayet, aghraz-o-maqasid-wa-mawane-aat

Hajamat:-usool-o-sharayet, aghraz-o-maqasid-wa-mawane-aat (Cupping)

رجامات

Fasad:-usool-o-sharayet, aghraz-o-maqasid-wa-mawane-aat (Venesection)

رصد

Taleeq:-usool-o-sharayet, aghraz-o-maqasid-wa-mawane-aat (Leeching) - امراض نظام تنفس: Respiratory

تعلیق

disease - دق و سہل (Phthisis، ذات الریه) (Pneumonia) ذات الجنب (Pleurisy)

Diq-wa-Sil, Zatur Riyah, Zatul Janab - امراض معدہ و امعاء: Gastro intestinal disease: قرح معدہ و اثنا عشری (Gastric & Duodenal

Ulcer) جلی معوی (Typhoid) زائده امور (Appendicitis)، زحیر (Dysentery) - امراض کبد و مرارہ Liver & Gallbladder disease: - اسباب

کبد (Hepatitis)، یرقان (Jaundice)

حفظان صحت (Preventive & Social Medicine) Hifzane Sehat

Sehat ki tareef (Defination of health) - حیاتین: (Vitamins) - اقسام، ذرائع حصول، مختلف حیاتین کی کمی و زیادتی سے پیدا ہونے والے امراض اور انکی جانکاری

Hayateen:-Aqsam, zara-e-husool, mukhtalif hayatin ki kami se paida hone wale amraz aur unki jankari

Bath:- حمام کے مختلف کرے، انکے مزاج و شرائط، اقسام، فائدے و نقصانات

Hammam:-Hammam ke mukhtalif kamre , unke mizaj-o-sharayet, aqsam, f ayede wa nuqsanat

Massage:- تعریف، اقسام اور انکی معالجاتی اہمیت کے جدید طریقے

Dalak:-Tareef, aqsam, aur uski moalijati ahmiyat ke jadeed tariqe - مندرجہ ذیل امراض کے اسباب، علامات و نشانیاں، تشخیص فاروق، مدت

حضانہ، مدت تعدیہ اور حفظہ مقدم کے طریقے

Mandarja zial amraz ky asbab, alamat-o-nishaniyan, tashkhise fareq a, muddate hazanat, muddate tadiya aur

Chicken)Hamiqah - حید - hifze ma taqaddum ke tariqe

Whooping)Shahiqah - شہیقہ (Measels) Khusrah - خسرہ Anthrax - آنٹرکس (Dysentery) Zahir - زحیر (Mumps) Galsue - گلسوے (Pox)

Cough - خشتاق)Khannaq - دق و سہل (Diphtheria) Diq - w a - S i l

(Tuberculosis) - ہیضہ (Haiza) (Cholera) اسہال (Ishal) (Diarrhoea) - دیران امعاء (Didane Ama-aa) (Intestinal worms) - پانی کی

تعریف، اہمیت اور قابل استعمال پانی کی خصوصیات 7 Properties of safe & whole some water - پانی کے ذرائع حصول - Source of water 8 - پانی کی

آلودگیاں Polution of water - پانی سے پیدا ہونے والے امراض اور ان سے بچاؤ کے طریقے 9 Panl se paida hone wale amraz aur unse bachaw

Food & Nutrition:- غذا اور تغذیہ کی تعریف، اہمیت، غذا کی تقسیم اور حیوانی تغذیہ Classification of food according to diety

(constituents & function)

قومی پروگرام (Qaumi Programme)

National Programme

1. عمل تلقیح (Vaccination): ویکسین بنانے کے طریقے، تحفظ اور ان کے اقسام، ٹیکے کے فوائد اور اقسام، دہائی امراض میں ٹیکوں کی اہمیت، مروجہ ٹیکوں کی مکمل معلومات، نقشہ
Amale Talqih:- Vaccine banane ke tariqe, tahaffuz aur unke aqsam , tike ke fawayed aur unke
aqsam, wabal amraz men tikon ki ahmiyat, murawweja tikon ki mukam mal maloomat. naqsha-e-tamni
عالمی صحتی تنظیم (W.H.O.) Aalami Sehati tanzim (UNICEF صحتی پروگرام (Health programme): ابتدائی صحتی ادارے (Primary health centre)

Sehati programme:- Ibtidai sehata adare خاندانی منصوبہ بندی (Family planning) Khandani Mansooba Bandi
تطہیر (Sterilization) Umale Tathir تعریف اور متعہی پیاریوں میں عمل تطہیر کی اہمیت۔ دفع قطن (Disinfectant) Dafa-e-ta-affun کی تعریف، مختلف
اصطلاحات کی جانکاری جیسے Antiseptic, Insecticide, Deodorant۔ دہاء کی تعریف پھیلنے کے طریقے اور دہاء سے متعلق اصطلاحات کی جانکاری Waba ki
ari tarife aur waba se muta-alliq istelihat ki jank
طریقے: جزام Leprosy، جی تیلوڈیہ Typhoid fever، جی اجامیہ Malaria، ہڈی توڑ بخار Dengue
Tetanus، ورن (Tuberculosis)، ایڈس AIDS، کنزاز Palgue

طب قانونی و علم السموم Tibbe Qanooni -wa- Ilmul Sumoom

(Medical jurisprudence & Toxicology)

عدالتیں اور ان کے اختیارات Adalaten aur unke ikhtiyarat، موت کی تعریف، درجات و اسباب موت Maut ki tareef, drjat -wa- asbabe maut
(Classification of death, stages, causes of death) Tashma-a (Mummification) خودکشی Khud
(Suicide) Kushi (Taleeqe) hanging) حنانت و عقم Ananat -wa- Aqam (Impotency & Sterility) جنسی جرائم Jinsi
(Sexual offence) Jaraim زنا بالجبر Zina Bil Jabr (Rape) حرق و سلق کی تعریف، اسباب (Definition of burn & scald & causes) مجرمانہ
(Criminal Abortion) Mujremana Isqate Hamal علم السموم کی تعریف، سموم کی درجہ بندی، جسم انسانی میں زہروں کے داخل ہونے کے طریقے، زہروں
Ilmul Samoom ki tarif, sumoom ki drja bnadi, jisme insani mien z ahron ke dakhil hone
ke afaal, nize mahdood karne wale asbab

ke tariqe, zahron ke afa-al, niz mahdood karne wale asbab

Defination of toxicology, classification, route of administration of poison, action of poison, causes of limiting

action of poison۔ یونانی و جدید تریاق، اقسام اور مواقع استعمال Unani -wa- Jadeed tiryaaq, aqsam -wa- mawaq-e-ietemal (Unani &)

(modern antidotes, types & indications)

Corrosive Poison: حاسن الکبریٰ Hamezul Kibriti (Sulphuric Acid)۔ سموم لاذعات Sumoome Lazeat (Irritant poison) پارہ
(Mercury) Parah، حب السلاطین Habbus Salatin، سموم عصیہ Sumoome Asbiyah (Neurotic poison) افیون (Opium) بٹلی کا
تیل Mitti ka tel (Kerosene oil) اذراقی Azraqi (Nux vomica) کاربن ڈائی آکسائیڈ Carbondioxide گھریلو استعمال میں آنے والی زہریلی اشیاء کا
عیان، فکس گولیاں، ڈی۔ ڈی۔ ٹی۔ پاؤڈر اور اس کا علاج

Hairs Shampoo, Pesticide۔ ہیر شپو

محالجات (Medicine) Moalijat

حمیات یوم کی تعریف، علامات و عمومی علاج (Defination of Ephemeral fever, symptoms & common treatment)

Hummiyate Yaum ki tarif, asbab, aqsam, alamat-wa-umoomi elaj، Humma-e-Balghamiya، جزیہ بلغمیہ

جمنی لشد Humma-e-Laseqah جمنی معویہ Humma-e-Mawiyah (Typhoid fever) جمنی اجامیہ Humma-e-Ajamiyah (Malarial Fever) انف العزہ (Influenza) امراض ظاہرہ، امراض عامہ Amraze Zaherah , amraze aam-mah (External disease, Common Diseases) جرب عکہ Jarb-wa-Hukkah (Pruritis) شرثی Shura (Urticaria) - برص Burs (Vitiligo) - امراض مفاصل Amraze Mafasil (Joints diseases) - دجج المفاصل Wajaul Mafasil (Arthralgia) - عرق النسا Arqun Nisa (Sciatica) نفرس Naqras (Gout) - امراض دماغ و اعصاب Amraze dimagh -wa- Aasab (Diseases of brain & Nerves) شقیقہ Suda-e-Shaqiqah (Migrain) - سرسام Sarsam (Meningitis) - لقتوہ Laqwah (Facial paralysis) - صرع Sara-a (Epilepsy) درم اعصاب Warne Aa-sab (Neuritis) - سہر Sehar (Insomnia) - امراض استہالہ Amraze Istehala (Metabolic diseases) - ذیابیطس شکرى Ziyabitise Shakri (Diabetes mellitus) - سمن مفراط Samane Mufrat (Obesity) - امراض قلب Amraze Qalb (Cardiovascular diseases) - خفقان Khafqan (Palpitation) - تعفین ذوالراسین Tazyeqe Zur Rasain (Mitral stenosis) - ضغط الدم قوی ZughtudDam (Essential hypertension) - امراض نظام تنفس Amraze Nizame Tanaffus (Respiratory diseases) - التهاب شعب Iltehab Digestive (Bronchitis) - ضیق النفس Ziqun Nafs (Broncheal Asthama) - امراض نظام ہضم Amraze Nizame Hazam (Diseases of Digestive) - سوء ہضم Su-e-Hazam (Indigestion) - زحیر Zahir (Dysentery) - التهاب معدہ Iltehab Medah (Gastritis) - بقرح معدہ واثنا عشری (Peptic Ulcer) - یرقان Yarqan (Jaundice) - حصاة مرارہ Hesate Murarah (Gall stone) - مرض دم Blood Disorder (Anaemia) - فقر الدم Faqrud Dam (Renal Diseases) - حصاة کلیہ Hisate Kullyah (Kidney Stone) - التهاب کلیہ (Nephritis) - جمنی امراض Jinsi Marz (Sexual Disease) - سرعت انزال Surate Inzal (Premature ujaculation) جمنی (Spermatorrhoea) Jiryane Mani

علم الجراحات و امراض اذن، انف، حلق، عین، E.N.T. & Ophthalmology

جراحات (Surgery)

التهاب Inflammation: - ماہیت، اسباب، اقسام، پیچیدگیاں، علاج، علامات و نشانیوں اور انتظام
Specific infection - نوعی تعدیہ Iltehab: - Mahiyat, asbab, aqsam, pechidgiyan, elaj, alamat-o-nisha niyan aur intezam
سوزاک Suzak (Gonorrhoea) - آتشک Atishak (Syphilis) - دق Diq (T.B.) - ایڈس AIDS
قسم گمرہ اور طریقہ (Types & methods of knot) - اشیائے خیاطی (Suturing material) - خیاطیت (Stiching) - قیق - Fataq (Hernia) - جرق و سلق Haraq -wa- salaq (Burn & Scald) - تحصیب (Dressing) - بواسیر Bawasir (Piles) - انتقال الدم Inteqalud Dam (Blood Transfusion) - قیلہ مانیہ Qila-e-mayiya (Hydrocele) - التهاب سدی Iltehab sadi (Mastitis) - سیالات و نمکیات اور اس کا توازن Saiyalat aur ka tawazun (Fluid & Electorlyte bailance) namkiyat aur uska tawazun

امراض عین (Ophthalmology)

سلاق Salaq (Blepharitis) - شمر مقلب Share Munqalib (Trichiasis) - دمہ Dam-aa (Epiphora) - بروہ Burdah (Chalazion) - نزول الماء Zarqul (Conjunctivitis & its types) - زرق الماء (Night blindness) Shab kori (Glaucoma) - شب کور (Cataract) - رمد اور اسکے اقسام (E.N.T.)

بہرہ پن Behra pan (Deafness) - دجج الاذن Wajaul Uzn (Otagia) - سیلان الاذن Sailnul Uzn (Otorrhoea) - جسم غریب Jisme Gharib (Foreign Bodies) - دق Wasaq (Wax) - نکسیر Naksir (Epistaxis) - بواسج انف Bawasire Anaf (Nasal polyp) - سیلان الانف Sailanul (Laryngitis) - التهاب حنجرہ (Dysphagia) - عسر البلع Usrul Bala (Anaf)

امراض انسان (Teeth)

وجع الاسنان Wajaul Asnan (Toothache)، تاكل الاسنان Takulul Asnan (Dental caries)، الشد راسية (Bleeding gums)
امراض نسوان و علم القابات (Gynaecology & Obs.)-Amraze niswan -wa-ilmul qabalat

بلوغت و دن ياس Balooqhat -wa-sinne yaas (Puberty & menopause) -احتباس طمث (Etebase Tams) (Amenorrhoea) -عسر
الطمث (Dysmenorrhoea) -استحاضه (Estehazas) (Metrorrhagia) -قلت طمث (Qillate Tams) (Oligomerorrhoea) -حكة
الفرج Hikkatul furj (Polymenorrhoea) -التهاب مهبل (Iltehab Mahbal) (Vaginitis) -التهاب عنق الرحم (Iltehab Unaqur)
Reham (Cervicitis) -نزف الرحم عراوطني (Nazfur Raham Usrul wazifi) (D.U.B.) -نزف الرحم بعد دن ياس (Nazfur Raham ba-ad Sinne)
Yas (Post menopausal bleeding) -حكة الفرج (Hukkatul Farj) (Pruritis of vulva) -سيلان الرحم (Sailanur Raham) (Vaginal)
(Discharge) -عقر (Aqr) (Sterility)

امراض نسوان میں ہارمون سے علاج Amraze Niswan men harmon se elaj -خاندانی منصوبہ بندی و مانع حمل تدابیر (Khandani mansooba)
bandi-wa-mana-e-hamal tadabeer -عمل بارآوری (Amale Bar aawari) (Fertilization) -جنینی دوران خون (Janini daurane)
Khookon (Faetal circulation) -حمل (Hamal) (Pregnancy)، حاملہ کی طبی تغیرات، حمل کی علامات و نشانیوں، طبعی وضع حمل کی میکانیہ و انتظامیہ (Physiological)
changes of pregnancy, sign & symptoms of pregnancy

Hamal:-Hamala ki tabai taghayyurat, Hamala ki alamt-w-nishaniyan , tabai waza-e-hamal ki mikania w
Intezamiya -امراض حمل خفیف و شدید (Diseases of pregnancy- acute & chronic) -قے اُحمل مغرط (Hyperemesis)
gravidarum، تھج (Oedema)، زیا بٹس شری (Diabetes mellitus)، بواسیر (Haemorrhoids)، ضغط الدم قوی (Hypertention)، اسقاط
(Abortion) حمل

امراض اطفال (Pediatrics)-Amraze Atfal

امراض اطفال کی تشخیص و علاج -wa-elaj Amraze atfal ki tashkis -جدید تحقیقات کی روشنی میں بچوں کی طبی اور غیر طبی نشو و نما کے نکات
Jadeed taqiqat ki raushni men bachchon ki tabai aur ghair tabai nasho numa ky nukat (Brain & اعصاب و دماغ)
Amarze dimagh -wa-aesab (Nerves disease) -سر سام (Sarsam) (Meningitis)، ام الصمیان (Ummus Sibyan) (Epilepsy) -تشنج
Tashannuje atfal (Convulsion) -استسقاء دماغ (Istisqa-e-dimagh) (Hydrocephalus)، قانج اطفال (Polio myelitis) -امراض
عين (Ophthalmology) Amraze Ain
Ramad (Conjunctivitis)، شعیرہ (Sha-eera) (Stye) -امراض انف -رعاف (Ruaaf) (Epistaxis)، نزله و زکام (Nazla -wa-Zukam) (Common)
cold -امراض دہن Mouth diseases -Amraze dehan -قلع (Qula) (Stomatitis) -امراض حلق
Halaque -خناق (Khunnaque) (Diphtheria) -ورم لوزتین (Warne Lauzatain) (Tonsillitis) -امراض تنفس
Tanaffus (Respiratory diseases) -شہیقہ (Shahiqah) (Whooping cough) -ذات الریہ (Zatur Riyah) (Pneumonia) -امراض
قلب (Amraze Qalb) (Cardiovascular disese) -موروثی مرض (Mauroosi marz) (Fallot's tetralogy) -امراض جگر، معدہ و امعاء
Infentile) Yarqane atfal (Disease of liver, stomach and intestine) -جگر، معدہ و امعاء (Jigar, medah, wa-am-aa
Intestinal) Didane Ama-aa (Abdominal Colic) -دیدان امعاء (Tashannuje Shikam) (Hic-cup) -تشنج عرق (Fu-waq)
(Jaundice) -تے (Qai) (Vomiting) -قبض (Qubz) (Constipation)، اسہال (Ishal) (Diarrhoea)، Treponema pallidum -آتشک کے میٹر یا کانام
(worms)

परिशिष्ट-तीन,

“ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं जानकारी”

ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में आवश्यक निर्देश निम्नानुसार हैं:-

(कृपया आवेदन भरने से पहले विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें)

ऑनलाइन आवेदन हेतु सक्रिय लिंक वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर निर्धारित तिथियों में उपलब्ध रहेंगे।

- (1). ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में अभ्यर्थी को सर्वप्रथम एक Candidate's Registration पेज प्राप्त होगा। उक्त पेज में नाम, पिता का नाम, माता का नाम, मूल निवास, वर्ग, लिंग, जन्मतिथि, मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आई.डी. इत्यादि की प्रविष्टि करने पर, यदि अभ्यर्थी आयु सीमा की शर्तों को पूर्ण करता हो, तो उसे प्रविष्टि किए गए मोबाइल नम्बर व ई-मेल आई.डी. पर ऑनलाइन आवेदन हेतु रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड प्राप्त होगा। अभ्यर्थी संबंधित चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपना रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड सुरक्षित रखें। चयन के प्रत्येक स्तर पर रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड के प्रयोग से ही जानकारी प्राप्त करने अथवा प्रदान करने का कार्य किया जा सकेगा। अभ्यर्थी संबंधित चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपना मोबाइल नम्बर व ई-मेल आई.डी. न बदलें तथा उसे एक्टिव रखें। मोबाइल व/अथवा सिम खो जाने या खराब हो जाने की स्थिति में तत्काल मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी से संपर्क कर Candidate's Registration हेतु प्रयुक्त किए गए मोबाइल नम्बर को चालू करवाएं। आयोग द्वारा अन्य आवश्यक सूचनाएं उक्त मोबाइल नंबर व ई-मेल आई.डी. पर दी जाएंगी।
 - (2). अभ्यर्थी अपने रजिस्टर्ड मोबाइल व ई-मेल आई.डी. पर प्राप्त रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड का प्रयोग कर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थी को समस्त आवश्यक जानकारीयां दर्ज कर अपना फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। Submit बटन के माध्यम से पूरी तरह भरे गए ऑनलाइन आवेदन को जमा करने पर अभ्यर्थी को शुल्क भुगतान की प्रक्रिया हेतु पेज प्राप्त होगा, जिस पर उपलब्ध भुगतान विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन कर शुल्क भुगतान किया जा सकेगा। सफलतापूर्वक शुल्क भुगतान कर लेने पर अभ्यर्थी को अपने आवेदन की रसीद प्राप्त होगी। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि निर्धारित शुल्क का भुगतान सफलतापूर्वक हो गया है। ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन रसीद नहीं किया जाएगा। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक, प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए ऑनलाइन आवेदन की पावति एवं भुगतान की रसीद का प्रिंट अपने पास रखना तथा आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 - (3). ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से लेकर अंतिम चयन की प्रक्रिया तक सभी आवश्यक सूचनाएं आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध कराई जाएंगी। अभ्यर्थी नियमित रूप से उक्त वेबसाइट का अवलोकन करते रहे। किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी सूचना व्यक्तिगत रूप से पत्र/SMS देने हेतु आयोग बाध्य नहीं होगा तथा इस आधार पर कोई भी अभ्यर्थी आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर सकेगा।
 - (4). आवेदक स्वयं अपने घर से या इंटरनेट कैफे के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान, निर्धारित भुगतान विकल्प चुनकर, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं।
 - (5). ऑनलाइन आवेदन के लिए अपलोड किए जाने हेतु, अभ्यर्थी के फोटोग्राफ संबंधी निर्देश:- आवेदक ऑनलाइन आवेदन हेतु विज्ञापन जारी होने की तिथि या उसके बाद की तिथि में खिचवाया हुआ पासपोर्ट साइज का फोटो अपने पास रखें। फोटो का बैकग्राउंड सफेद/हल्के रंग का होना चाहिए तथा फोटो में अभ्यर्थी की दोनों आंखें स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। फोटो के निचले हिस्से पर अभ्यर्थी का नाम तथा फोटो खिचवाने की तिथि प्रिंट की हुई होनी चाहिए। अभ्यर्थी उक्त निर्देशानुसार खिचवाए गए फोटो को स्कैन कर .JPG फाइल (अधिकतम
- साइज 100KB) तैयार कर/करवा लें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि स्कैन करते समय केवल फोटो को ही स्कैन किया जाए, बैकग्राउंड (कागज जिस पर फोटो चिपकाया गया हो/Reflective Document Mat) को नहीं। अभ्यर्थी उक्त फोटो की 3 प्रतियां (Hard Copies) अपने पास अवश्य रखें। भविष्य में आयोग द्वारा निर्देशित किए जाने पर अभ्यर्थी को उक्त फोटो प्रस्तुत/प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
 - (6). ऑनलाइन आवेदन के लिए अपलोड किए जाने हेतु, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर संबंधी निर्देश:- ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थी को अपना हस्ताक्षर पृथक अपलोड करना होगा, इस हेतु अभ्यर्थी एक सफेद कागज पर काले बॉल प्वाइंट पेन से हस्ताक्षर करें। अभ्यर्थी उक्त निर्देशानुसार हस्ताक्षरित कागज को स्कैन कर .JPG फाइल (अधिकतम साइज 100KB) तैयार कर/करवा लें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि स्कैन करते समय केवल हस्ताक्षर को ही स्कैन किया जाए, बैकग्राउंड (कागज जिस पर फोटो चिपकाया गया हो/Reflective Document Mat) को नहीं।
 - (7). ऑनलाइन आवेदन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि जानकारी जो ऑनलाइन आवेदन में चाही गई है की सही-सही प्रविष्टि की जाए।
 - (8). आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन आवेदन में अंकित की जा रही है वह प्रमाणित जानकारी है। अतः ऑनलाइन आवेदन Submit करने के पूर्व आवेदक अपने आवेदन की समस्त प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझ लें। आवेदक अपने द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होने के पश्चात् ही ऑनलाइन आवेदन को Submit बटन क्लिक कर जमा करें तथा आवेदन शुल्क अदा करें।
 - (9). ऑनलाइन आवेदन Submit करने के तथा शुल्क अदा करने के बाद अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवेदन तथा भुगतान की रसीद प्राप्त होगी। जिन्हें प्रिंट कर अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखें। चयन प्रक्रिया के आगे के चरणों में मांगे जाने पर उक्त को आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। सामान्यतः प्रवेश पत्र जारी होने के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन की प्रति तथा भुगतान की रसीद उपलब्ध नहीं रहती है। अतः आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रति तथा/अथवा शुल्क भुगतान की रसीद उपलब्ध कराने हेतु दिए गए अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि उसके द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान सफलता पूर्वक कर दिया गया है।
 - (10). ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य निर्धारित तिथि में ऑनलाइन किया जा सकेगा। त्रुटि सुधार केवल एक बार ही किया जा सकेगा। अंतिम तिथि के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टि में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में आयोग किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं करेगा।
 - (11). आवेदक यह ध्यान रखें कि विज्ञापित पद के आवेदन पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार चयन के किसी भी स्तर पर नहीं किया जा सकेगा। अतः अभ्यर्थी अपना आवेदन अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी कोई त्रुटि होती है तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें।
 - (12). ऑनलाइन आवेदन/त्रुटि सुधार हेतु पोर्टल शुल्क :-
 - (i) प्रत्येक ऑनलाइन आवेदक के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क रुपये 30/- + जीएसटी शुल्क देय होगा।
 - (ii) ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आवेदक द्वारा त्रुटि सुधार निर्धारित तिथियों में केवल एक बार निःशुल्क किया जा सकता है।
 - (iii) प्रवर्ग सुधार के मामलों में यदि किसी आवेदक द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप

में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

- (iv) परीक्षा शुल्क तथा पोर्टल चार्ज किसी भी परिस्थिति में वापसी योग्य नहीं है।

नोट:-

- (i) आवेदक ऑनलाइन आवेदन की प्रति तथा शुल्क भुगतान की रसीद में दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और अपने पास संभालकर रखें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि शुल्क का भुगतान सफलतापूर्वक हो गया है।
- (ii) जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता तथा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
- (iii) किसी भी साइबर कैफे अथवा अन्य संस्थान के माध्यम से आवेदन करते समय आवेदक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अपनी निगरानी में ही करवाएं। ऑनलाइन आवेदन में हुई किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आवेदक साइबर कैफे अथवा अन्य संस्थान अथवा आयोग को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकेंगे।
- (iv) कार्ड/नेट बैंकिंग/कैश डिपॉजिट के माध्यम से किसी भी शुल्क के भुगतान (यदि कोई हो) की प्रक्रिया में यदि संबंधित बैंक द्वारा किसी प्रकार का सेवा शुल्क लिया जाता है तो उसके भुगतान का दायित्व आवेदक का होगा। आवेदक ऑनलाइन बैंकिंग के दौरान फिशिंग/हैकिंग अथवा अन्य साइबर गतिविधि से बचने के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- (v) ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे जिन्हें ऑनलाइन भरने के बाद प्रिंट लेकर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जाएगा। परीक्षा शुल्क के लिए किसी भी प्रकार का ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा करने पर आवेदनों को मान्य न करते हुए निरस्त कर दिया जाएगा, और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही मानी जाएगी।

प्रवेश पत्र व साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र:-

- (1) प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र परीक्षा/साक्षात्कार के लगभग 10 दिन पूर्व अपलोड किए जाएंगे एवं इसकी सूचना पृथक से नहीं दी जाएगी।
- (2) प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र व्यक्तिगत रूप से नहीं भेजे जाएंगे अपितु केवल आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध होंगे। इस संबंध में किया गया कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।
- (3) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र न हो।
- (4) अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पत्र के साथ **ID Proof** हेतु मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/पैन कार्ड/आधार कार्ड/स्मार्ट कार्ड (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की योजना के तहत आरजीआई द्वारा जारी)/स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड फोटो सहित (श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी)/जॉब कार्ड फोटो सहित (एनआरईजीए योजना के तहत)/सेवा पहचान पत्र फोटो सहित (राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय, पब्लिक लिमिटेड कंपनियाँ द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी)/पासबुक एवं किसान पासबुक फोटो सहित (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/झाकघर द्वारा जारी)/छात्र पहचान पत्र (स्कूलों/कालेजों द्वारा जारी)/बीपीएल परिवार को जारी राशन कार्ड/संपत्ति के दस्तावेज फोटो सहित जैसे-पट्टा, पंजीकृत डिड्स/एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. प्रमाण पत्र फोटो सहित (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी)/फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन किताब, भूतपूर्व सैनिकों की विधवा या आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश, विधवा पेंशन आदेश/शारीरिक विकलांग प्रमाण पत्र फोटो सहित में से एक दस्तावेज लाना आवश्यक होगा, इसके अभाव में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- (5) यदि प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र पर मुद्रित फोटो व हस्ताक्षर अथवा दोनों अस्पष्ट या अवैध हों तो प्रवेश पत्र पर निर्देशानुसार कार्यवाही न करने पर केन्द्राध्यक्ष/जांच अधिकारी अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित होने से वंचित कर सकेंगे।

□□□□□